R. 2991-PBR/16 (हरदा) (148)

पुनरीक्षणकर्ता - रामकृष्ण पिता मांगीलाल जाति राजपूत
निवासी ग्राम छंरतलाय तह. टिमरनी जिला हरदा म.प्र.।

विरुद्ध

उत्तरदाता/ अनावेदक - अखिलेश आ0 जोखीलाल पाराशर जाति ब्राहम्ण
निवासी हरदा तह. व जिला हरदा म.प्र.।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, टिमरनी तह. टिमरनी जिला हरदा के रा. प्र. क्र. 42 अ 12 वर्ष 2014-15, ग्राम छंरतलाय मे किये गये सीमांकन दिनांक 20/6/2015 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है -

3/8/16

(पुनरीक्षण के तथ्य)

| | |
|---|---|
| 25-1-2017 | उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-6-15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी इस न्यायलय में लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का प्रत्येक दिन का कारण नहीं दर्शाया गया है केवल यही बताया जा रहा है कि विलम्ब क्षमा नहीं किया गया जो आवेदक का अपरिमित क्षति होगी, जो समाधानकारक नहीं है। अतः यह निगरानी अवधि बाहय प्रस्तुत होने के कारण अग्राहय की जाती है । |

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष